



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना ६०२) पटना, शुक्रवार, ९ जुलाई २०२१

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
९ जुलाई २०२१

एस० ओ० १२४, दिनांक ९ जुलाई २०२१— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम २०१७ (२०१७ का १२) की धारा १४८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१२ दिनांक ०८ मई, २०१९, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या ५९८ दिनांक ०८ मई, २०१९ द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीए अनुच्छेद में, द्वितीय परंतुक में, “मई, २०२१ के ३१वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “जुलाई, २०२१ के ३१वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों रखे जाएंगे।

२. यह अधिसूचना मई, २०२१ के ३१वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-२१/२०१७ (खंड-१२) ११९८)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 July 2021

एस० ओ० 124, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1198)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th July 2021

S.O. 124, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 212 dated the 8th May, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 598 dated the 8th May, 2019 , namely: —

In the said notification, in the third paragraph, in the second proviso, for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “31st day of July, 2021” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of May, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1198)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 602-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>